

कार्यालय ग्राम पंचायत, लसुड़िया परमार

तेहसील-सांवेर, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 34/पंच/2022-
भवन अनुज्ञा

दिनांक 20/09/2022

भवन निर्माण अनुमति पत्र

(मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम की धारा 55 के प्रावधान के अंतर्गत म.प्र.)

प्रति,

श.रा. इन्फ्रास्ट्रक्चर सि०
मालवा कांटेन्सि कम्पिनी
ग्राम लसुड़िया, तहसील सांवेर,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

महोदय,

ग्राम पंचायत लसुड़िया परमार अंतर्गत भूमि सर्वे नं./भूखण्ड क्रं 112, 113 कॉलोनी मालवा कांटेन्सि कम्पिनी
ग्राम लसुड़िया परमार तेह.सांवेर, जिला इन्दौर में भूमि, विकास/भवन निर्माण, पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आपके आवेदन
क्रं...57... दिनांक 2/9/22 के संदर्भ में आपको सूचित हो कि कार्यालय लसुड़िया परमार द्वारा, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम
निवेश इन्दौर द्वारा जारी भवन अनुज्ञा अनुशंसा पत्र क्रं 154/5 दिनांक 15/9/22 के अनुसार स्वीकृत भवन मानचित्र एवं
निर्देशित शर्तों के आधीन निम्नलिखित शर्तों एवं उपबंधनों के तहत मानचित्र अनुमोदन एवं भवन निर्माण की अनुमति
प्रदान की जाती है

- कार्यालय संयुक्त संचालन नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर द्वारा आयोजित भूमि पर अनुमोदित विकास अनुज्ञा पत्र क्रं 154/5 दिनांक 15/9/22 में दी गई शर्तों एवं नियोजन मापदण्डों का पालन किया जाये
- उपरोक्त स्वीकृत अनुसार आपके भूखण्ड/भूमि सर्वे नं 112, 113 क्षेत्रफल 16357 वर्गमीटर पर भवन नियमन: गाउण्ड कवरेज 29.95% एम.ए.आर 0.5 के साथ भूमि उपयोग आवासीय उपयोग/ आवासीय सह-वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोग (आवासीय) उपयुक्त (रे.ए.ए.ए.) बाबद आपको कुल निर्मित क्षेत्रफल 16357 वर्गमीटर पर संलग्न मानचित्रानुसार भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल कुल भवन उंचाई 0.45 मीटर के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है
- स्वीकृत मानचित्र में दशरथ पार्किंग पर किसी प्रकार का निर्माण (कबर्ड पार्किंग केनोपी छोड़कर) नहीं किया जाये
- पर्यावरण सुधार की दृष्टि से रेन/रुफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य हेतु आवश्यक स्थान भूमि/भूखण्ड से उपलब्ध करना होगा
- भूमि विकास 2012 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाये
- भवन निर्माण भूकंपरोधी तकनीकी अनुसार करना होगा
- यह स्वीकृति दिनांक 20/9/22 तक वैध होगी उक्त अवधि उपरान्त अनुमति नवीनीकरण की जायेगी
- उक्त भवन अनुमति, आवेदन के साथ प्रस्तुत भवन/भूमि स्वामी दस्तावेज, अनुमोदित विकास अनुज्ञा, भू-व्यपवर्तन आदेश एवं शपथ पत्र के आधार पर दी गई है
- अगर किसी को कोई आपत्ति होने पर तत्काल काम रोकना होगा, निराकरण होने के पश्चात् ही कार्य प्रारंभ करें
- आवेदन में दी गई जानकारी असत्य होने पर भू-स्वामित्व संबंधी विवाद होने या दी गई अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर दी गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र प्रति

ग्राम सभा लसुड़िया परमार
दिनांक 13/9/2022 के प्रस्ताव
क्रमांक 04 द्वारा अनुमोदित

सचिव
ग्राम पंचायत लसुड़िया परमार
जनपद पंचायत सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)
तेह.सांवेर, जिला इन्दौर

पंचायत मासिक बैठक दिनांक
9/9/2022 के प्रस्ताव क्रमांक
03 द्वारा अनुमोदित

सरपंच
ग्राम पंचायत लसुड़िया परमार
जनपद पंचायत, सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.)
तेह.सांवेर, जिला इन्दौर